राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 934 व 935/2015.....जिला.....जयपुर.....
उनवान–मैसर्स सुजलोन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस लि, जयपुर बनाम् आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2015	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपीलें मय रोक आवेदन पत्र आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "आयुक्त" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 26.03.2015, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 85 के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिनमें वा.क.अ., कार्य संविदा व पट्टा कर, प्रथम, जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 85 के तहत् क्रमशः निर्धारण वर्ष 2008–09 व 2009–10 के संबंध में पारित निर्धारण आदेशों को पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, कतिपय निर्देशों के जरिये प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रोक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, आयुक्त द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा व विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 30.06.2015 को उपस्थित हुये । उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है । उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरणों के संबंध में स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा आलोच्य अवधियों के संबंध में पारित पृथक्–पृथक् आदेशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में जो निर्देश दिये गये हैं, पर रोक लगाने हेतु रोक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अब इस पीठ के समक्ष जो प्रश्न निर्णयार्थ है वह यह कि क्या कर बोर्ड को उसके समक्ष किसी भी अपील के लम्बित रहने के दौरान, किसी भी कार्यवाही पर रोक लगाने जाने की अधिकारिता/क्षेत्राधिकार प्राप्त है ? इस संबंध आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध रोक लगाये जाने से पूर्व अधिनियम की धारा 83(7) का अध्ययन किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैः– 83(7).– **The Tax Board, during the pendency of an appeal before it, shall not stay any proceeding** but it may, on an application in writing from the dealer, stay the recovery of the disputed amount of tax or any other sum or any part thereof on the condition of furnishing adequate security to the satisfaction of the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner in this behalf; and the amount found ultimately due shall be subject to interest from the date it became first due, in accordance with the provisions of this Act. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 83(7) के विशिष्ट प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि कर बोर्ड को उसके समक्ष किसी भी अपील के लम्बित रहने के दौरान, किसी भी कार्यवाही पर रोक नहीं लगायेगा। व्यवहारी के लिखित में आवेदन किये जाने पर, लगातार.....2	

03.07.2015

निर्धारण अधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के संतोषजनक रूप में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर कर की विवादग्रस्त राशि यह अन्य राशि की वसूली पर रोक (Stay) लगा सकेगा। अतः उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में, कर बोर्ड को किसी प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगाये जाने की अधिकारिता/क्षेत्राधिकार के अभाव में, **आयुक्त द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 26.03.2015** के जरिये प्रस्तावित कार्यवाही/विरूद्ध रोक लगाया जाना संभव नहीं है। फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

प्रकरण रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष दिनांक 11.09.2015 के लिये नियत किया जाता है। रजिस्ट्रार कोर्ट अपीलीय अधिकारी व निर्धारण अधिकारी का रिकॉर्ड पूर्ण होने पर संबंधित खण्ड पीठ के समक्ष, पक्षकारों को नोटिस जारी करने के उपरांत सुनवायी हेतु नियत करें।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य